न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–II, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0– 748 / 2024
CNR No-BRVA0-2003523-2019

उपस्थित : रत्नेश कुमार सिंह
अपर सत्र न्यायाधीश–II,
वैशाली, हाजीपुर।

हाजीपुर, दिनांक– 23वीं मार्च 2026

(राघोपुर थाना कांड सं0– 66 / 2019 अन्तर्गत धारा–341, 448, 323, 307, 504, 506, 379, 34 भा0दं0वि0 से उत्पन्न)

राज्य (द्वारा – आनन्त कुमार – सूचक) ———— अभियोजन

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :–श्री राज कुमार सिंह,
विद्वान अपर लोक अभियोजक

बनाम

1. शम्भू राय, पिता स्व. बसंत राय, उम्र लगभग 40 वर्ष,
2. श्याम नारायण राय, पिता स्व. बसंत राय, उम्र लगभग 60 वर्ष,
3. भोला राय, पिता श्याम नारायण राय, उम्र लगभग 36 वर्ष,
4. राहुल कुमार, पिता श्याम नारायण राय, उम्र लगभग 29 वर्ष,
5. विकास कुमार, पिता श्याम नारायण राय, उम्र लगभग 28 वर्ष,
6. राकेश कुमार, पिता श्याम नारायण राय, उम्र लगभग 26 वर्ष,

सभी ग्राम– मोहनपुर लंगा टोला, थाना– राघोपुर, जिला–वैशाली

———————— अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री अमरजीत कुमार, श्री कुन्दन कुमार।

घटना की तिथि	24.04.2019
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	25.04.2019
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	30.11.2019
आरोप गठन की तिथि	23.12.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	23.07.2025
निर्णय पर नियत करने की तिथि	19.03.2026
निर्णय की तिथि	23.03.2026
सजा की तिथि, यदि कोई	––

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तारीख	जमानत पर मुक्त करने की तिथि	आरोप अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	सुनायी गयी सजा	विचारण के दौरान कारा में वितायी गयी अवधि धारा–428 दं0प्र0सं0
01	शम्भु राय	07.11.2019	07.11.2019	अन्तर्गत धारा–341 / 34, 323 / 34, 448 / 34, 307 / 34, 504 / 34 एवं 506 / 34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		02 दिन

02	श्याम नारायण राय	07.11.2019	07.11.2019	अन्तर्गत धारा–341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
03	भोला राय	26.04.2019	27.04.2019	अन्तर्गत धारा–341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		01 दिन
04	राहुल कुमार	07.11.2019	07.11.2019	अन्तर्गत धारा–341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
05	विकाश कुमार	07.11.2019	07.11.2019	अन्तर्गत धारा–341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
06	राकेश कुमार	07.11.2019	07.11.2019	अन्तर्गत धारा–341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य

Web Copy not official

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लु–01	रंजु देवी	अन्य साक्षी
पी0डब्लु–02	अनन्त कुमार	सूचक
पी0डब्लु–03	उमिया देवी उर्फ उर्मिला देवी	अन्य साक्षी
पी0डब्लु–04	उदय राय	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच

		साक्षी, अन्य साक्षी)
NIL	NIL	NIL

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
NIL	NIL	NIL

Web Copy not Official

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय प्रदर्ष की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–पी.–01/पी.डब्लू.–02	लिखित आवेदन पर साक्षी संख्या–02 का हस्ताक्षर

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

नि र्ण य

1. उपर्युक्त अभियुक्तगण धारा–341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश सूचक आनन्त कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक– 24.04.2019 को समय करीब 04.30 बजे अपराह्न में सभी परिवार अपने घर पर थे। उसी समय इनके पड़ोसी शंभु राय, बंसत राय, श्यामनारायण राय लाठी से

लैस होकर घर पर चढ़ गए तथा गाली–गलौज करते हुए कहने लगे कि तुम लोग घर खाली करके भाग जाओ। इस पर ये बोले कि घर छोड़कर क्यों जाउं। हल्ला–गुल्ला पर बारी–बारी से नितु देवी हाथ में लाठी, भोला राय हाथ में बांस का फट्ठा, राहुल कुमार हाथ में कुदाल का बैट, विकाश कुमार के हाथ में बैट, राकेश कुमार के हाथ में ईंटा लेकर आ गए तथा सभी परिवार को घर में घुसकर मारपीट करने लगे। इसी दरम्यान शंभु राय हाथ में दबीया लाया तथा जान मारने की नियत से इन्हें सिर पर मारा, जिससे इनका सर फट गया। मार–पीट से इनके भाई उदय राय, भाभो उनीया देवी एवं पत्नी रंजु देवी भी घायल हो गयी। हल्ला–गुल्ला पर ग्रामीण लोग के जुटने पर झगड़ा शांत हुआ। भागते वक्त राहुल कुमार ने इनके पॉकेट से रू. 1000/– निकाल कर भाग गया। तब ये परिवार के अन्य सदस्य के साथ इलाज करवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघोपुर में इलाज करवाए।

3. सूचक के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी राघोपुर थाना कांड सं0–66/2019 अन्तर्गत धारा– 341, 448, 323, 307, 504 और 506/34 भा0दं0वि0 दर्ज किया गया तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–341, 323, 448, 307, 504 एवं 506/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0–120/2019 दिनांक– 30.11.2019 को समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–18.12.2021 को अपराध का संज्ञान लिया गया तथा दौड़ा सुपुर्दगी हेतु अभिलेख सुश्री शिखा कुमारी, न्या0दण्दा0 प्रथम श्रेणी के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया विद्वान न्या0दण्डा0 द्वारा वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक–18.10.2024 के आदेश द्वारा विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक–19.11.2024 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. दिनांक– 23.12.2024 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित करके आरोप हिन्दी में सुनाया गया है। जिसे सुनकर अभियुक्तों ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण का दावा किया है। आरोप का गठन होने के पश्चात् अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया एवं साक्ष्य प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् दिनांक–10.03.2026 को अभियुक्तों का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिया गया जिसमें अभियुक्तगण का बचाव है कि उनको इस मोकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे सर्वथा निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को सभी युक्ति युक्त संदेहो की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं?

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–II, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0– 748/2024
CNR No-BRVA0-2003523-2019

म न्त व्य

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 04 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–1 रंजु देवी, अभियोजन साक्षी सं0–2 आनन्त कुमार (सूचक), अभियोजन साक्षी सं0–3 उमिया देवी उर्फ उर्मिला देवी एवं अभियोजन साक्षी सं0–4 उदय राय है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर सूचक आनन्त कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श– पी.–01/पी.डब्लू.–02 अंकित कराया गया है।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कुल–04 साक्षियों में से **अभियोजन साक्षी सं0–02 आनन्त कुमार (सूचक)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि इन्होंने ही यह केस किया था। घटना दिनांक 24.04.2019 की, समय शाम के 04.30 बजे की है। उस समय ये अपने घर पर था। घर पर शम्भु राय, भोला राय, विकास, राहुल राय, श्याम नारायण राय आए और बोले कि घर खाली करो। ये बोला कि इसमें इनका भी हिस्सा है। इसी पर ये लोग मारपीट करने लगे। सब दबिया लिए हुए था। शम्भु दबिया से सर पर मारा, कट गया, खुन बहने लगा। फिर परिवार के महिला सब आयी तो उसे भी मार लगा। इसी बात को लेकर थाना में लिखित आवेदन दिया गया, लिखित आवेदन पर इनका हस्ताक्षर है, पहचानते है, हस्ताक्षर को **प्रदर्श–पी.–01/पी.डब्लू.–02** अंकित किया गया। आगे कथन किया है कि आज अभियुक्त शम्भु राय उपस्थित है, को पहचानता है, और अन्य मुदालहों को देखकर पहचान लेगे।

प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि इस केस के मुदालहगण इनके अपने पट्टीदार है। जमीन को लेकर पट्टीदार सबसे विवाद चल रहा था। इनका और मुदालहगण का घर एक ही जगह पर है। घटना के समय काफी भीड़–भाड़ थी। भीड़–भाड़ में इन्हें कैसे चोट लगी, नहीं देख सका। भीड़–भाड़ में किस मुदालह के हाथ में क्या था, नहीं देख सका। जो भी विवाद था, जमीन संबंधी, घर संबधी सभी में सुलह हो चूका है। राजी–खुशी से सभी मुदालहों से सुलह हो चूका है, सुलहनामा बनाकर माननीय न्यायालय में दाखिल किया हूँ। उदय राय इनका भाई, बुनिया देवी इनकी भाभो है। केस आपस में सुलह हो चूका है, इसलिए आगे नहीं लड़ना चाहता है।

10. **अभियोजन साक्षी सं0–01 रंजु देवी** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना करीब 6 साल पहले की, समय 4 बजे शाम की है। उस समय ये अपने घर पर थी। घर पर शम्भु राय, भोला राय, विकाश राय, श्याम नारायण राय आए और इनके पति को सर पर मारा, जिससे कट गया, खुन गिरा। और किसी को नहीं मारा। इनके पति का इलाज राघोपुर

अस्पताल में हुआ। आगे कथन किया है कि आज अभियुक्त शम्भु राय उपस्थित है, को पहचानती हूँ, और अन्य मुदालहों को देखकर पहचान लूंगी।

प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि इस वाद के सूचक इनके पति है। घटना के समय घटनास्थल पर काफी भीड–भाड़ थी। भीड़ के कारण कौन किसको मारा ये नहीं देख सकी। पति को कौन मारा, ये नहीं देख सकी। जमीन का विवाद फरिया गया है अब कोई विवाद नहीं है। इस मुकदमा को इनके पति ने सभी से सुलह कर लिया है। अभियुक्त शम्भु राय इनके पड़ोसी है, इसलिए ये उन्हें पहचानती हूँ।

11. **अभियोजन साक्षी सं0–03 उमिया देवी उर्फ उर्मिला देवी** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना जमीन को लेकर हुआ था, लड़ाई हुआ था। घटना के समय ये नहीं थी। बाद में गए, छुड़ाए। इन्हें ध्यान में नहीं है कि कौन किसको किस चीज से मारा। शम्भु राय के परिवार के लोगों से झंझट हुआ था। आनन्त राय इनके भैसूर है, केस वहीं किए है। आगे कथन किया है कि आज अभियुक्त शम्भु राय उपस्थित है, उन्हें पहचानती हूँ और अन्य को देखकर पहचान लूंगी।

प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि केस के मुदालहगण पट्टीदार है। जिस जमीन को लेकर विवाद है, सुलझ गया है। घटना के समय ये वहां नहीं थी। घटना के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पारिवारिक वाद–विवाद था, आपस में अब राजी खुशी हो गया है।

12. **अभियोजन साक्षी सं0–04 उदय राय** ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है तथा कहा है कि पुलिस के समक्ष मेरा बयान नही हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन द्वारा प्रति परीक्षण किया गया। अभियोजन द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में ऐसा कोई सारगर्भित तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन केस को बल मिल सके। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि दोनों पक्ष के बीच सुलह हो गया है। अब दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। सुलह के आधार पर वाद का निष्पादन कर दिया जाए। अभियुक्त शम्भु राय इनके चचेरा भाई है, इसलिए पहचानते है।

13. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सूचक ने अपने फर्दबयान का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है एवं उनके कथन का मौखिक साक्षियों के साक्ष्य से समर्थन होता है साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कागजात जो कि अभियुक्तगण के दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध किया जाय।

14. दूसरी तरफ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उन्हें साजिश के तहत मनगढंत तथ्यों को आधार बनाकर इस केस में अभियुक्त बनाया गया है।

अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में साक्षी सं0–4 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है न ही किसी प्रकार का जख्म जख्मी को हुआ है। बिना वजह अभियुक्त को इस केस में घसीटा गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने सूचक के लिखित कथन का समर्थन नहीं किया है। यहॉ तक कि सूचक स्वयं ने अभियोजन कहानी का समर्थन अपने प्रति परीक्षण में नहीं किया है तथा सही तथ्य को जानकर अभियुक्तों को निर्दोष पाकर वह अभियुक्तों से सुलह कर लिया है। विद्वान अभियोजन द्वारा अनुसंधानक एवं चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियोजन की ओर से कोई जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श के रूप में अभिलेख पर नहीं लाया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियोजन केस के साबित होने में बल मिल सके। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन अपने केस को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहे है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

15. विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के समीक्षा से विदित है कि अभियोजन की ओर से कुल–04 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–04 उदय राय को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस वाद में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कुल अभियोजन साक्षियों में से साक्षी सं0–02 आनंत कुमार जो कि इस वाद के सूचक हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने लिखित आवेदन के कथन का समर्थन किया है। किन्तु अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि सभी मुदालहगण इनके अपने पट्टीदार है। जमीन को लेकर पट्टीदार सबसे विवाद चल रहा था। इनका और मुदालहगण का घर एक ही जगह पर है। घटना के समय काफी भीड़–भाड़ थी। भीड़–भाड़ में इन्हें कैसे चोट लगी, नहीं देख सका। भीड़ भाड़ में किस मुदालह के हाथ में क्या था, नहीं देख सका। जो भी विवाद था, जमीन संबंधी, घर संबधी सभी में सुलह हो चूका है। राजी खुशी से सभी मुदालहों से सुलह हो चूका है, सुलहनामा बनाकर माननीय न्यायालय में दाखिल किया हूॅ। उदय राय इनका भाई, बुनिया देवी इनकी भाभो है। केस आपस में सुलह हो चूका है, इसलिए आगे नहीं लड़ना चाहता है। अभियोजन साक्षी सं0–01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि इस वाद के सूचक इनके पति है। घटना के समय घटनास्थल पर काफी भीड–भाड़ थी। भीड़ के कारण कौन किसको मारा ये नहीं देख सकी। पति को कौन मारा, ये नहीं देख सकी। जमीन का विवाद फरिया गया है अब कोई विवाद नहीं है। इस मुकदमा को इनके पति ने सभी से सुलह कर लिया है। अभियुक्त शम्भु राय इनके पड़ोसी है, इसलिए ये उन्हें पहचानती है। अभियोजन साक्षी सं0–03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि केस के मुदालहगण पट्टीदार है। जिस जमीन को लेकर विवाद है, सुलझ गया है। घटना के समय ये वहां नहीं थी। घटना के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पारिवारिक वाद–विवाद था, आपस में अब राजी

खुशी हो गया है।

16. अभियोजन की ओर इस वाद में अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया गया है और अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराये जाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है कि किन परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया गया है। अनुसंधानकर्ता ही अनुसंधान के क्रम में अपने द्वारा एकत्रित साक्ष्य को समुचित ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराये जाने से अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाता है।

17 अभियोजन की ओर से किसी चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है और चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य एवं जख्म प्रतिवेदन के अभाव में जख्मी होने का कथन संदेहास्पद हो जाता है।

18. उपरोक्त विवेचना के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में किसी भी साक्षी के साक्ष्य में कोई उल्लेखनीय अथवा सारभूत साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे अभियोजन कहानी साबित होती हो। इस प्रकार अभियोजन आरोपित अपराध की धारा– 341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 भा0 दं0 वि0 के आरोप को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्व युक्ति–युक्त संदेहो से परे साबित करने मे सफल नही रहा है। अतः

आदेश

19. मैं उपरोक्त अभियुक्तगण 1. शम्भू राय, 2. श्याम नारायण राय, 3. भोला राय, 4. राहुल कुमार, 5. विकास कुमार और 6. राकेश कुमार को भा0दं0वि0 की धारा– 341/34, 323/34, 448/34, 307/34, 504/34 एवं 506/34 के आरोप का दोषी नहीं पाता हूॅ तथा साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अभियुक्तगण को दोषमुक्त करता हूॅ। अभियुक्तगण जमानत पर हैं अतः उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

(निर्णय खुले न्यायालय मे पढ़कर अभियुक्त को सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।)

(कार्यालय निर्णय की एक प्रति जिला पदाधिकारी, वैशाली को भेजें)

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ले0/–

(रत्नेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–II,
वैशाली, हाजीपुर।
23.03.2026

लेखापित,

ले0/–

(रत्नेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–II
वैशाली, हाजीपुर।
23.03.2026